

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 311813

ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 29/5/17

ग्रा0वि0 -6/अभि0-03-08/2017

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश (अतिरिक्त) का देय अनुपातिक सहायक अनुदान (राज्यांश) की राशि 95.28 लाख (पनचानवे लाख अठाइस हजार) रुपये का आवंटन ।

प्रसंग :-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -310737 दिनांक-18.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के प्रशासन मद में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रांश हेतु विहित मांग संख्या- 42, मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) विपत्र कोड संख्या- 42-2501061010302 विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान के बजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार के पत्रांक R-17014/01/2016-17/DRDA (pt.1) (Sl.No-113) दिनांक-28.03.2017 द्वारा निम्नलिखित 08 (आठ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को कर्णांकित करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त किस्त की राशि विमुक्त की गई है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- R-18014/1/2015-16 (pt)-DRDA दिनांक- 11.12.2015 द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन मद की संशोधित फंडिंग प्रक्रिया (75:25 के स्थान पर 60:40 के अनुपात) के आलोक में विमुक्त केन्द्रांश (60%) के विरुद्ध अनुमान्य 40% अनुपातिक राज्यांश की राशि रु0 95.28 लाख (पनचानवे लाख अठाइस हजार) रुपये मात्र उक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को भुगतान हेतु निम्नांकित विवरणी में उनके नाम के सामने अंकित कॉलम- 4 के अनुसार आवंटित की जाती है:-

रुपये लाख में

क्र.सं	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नाम	वर्ष 2016-17 में विमुक्त केन्द्रांश की अतिरिक्त किस्त की राशि (60%)	वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश के विरुद्ध आवंटित अनुपातिक सहायक अनुदान (राज्यांश) की अतिरिक्त किस्त की राशि	बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC No.	बैंक ड्राफ्ट भुगतये
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भोजपुर	19.00	12.67	Punjab National Bank	1494000100081608	PUNB0149400	उप विकास आयुक्त, भोजपुर, आरा
2	दरभंगा	19.59	13.06	Uttar Bihar Gramin Bank	1004901010000215	CBINOR10001	उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा
3	खगडिया	16.66	11.10	State Bank of India	11068094842	SBIN0000114	डी0आर0डी0एए0, खगडिया
4	लखीसराय	9.90	6.60	State Bank of India	30981092877	SBIN0002968	DRDA (DDC) ADMINISTRATION, LAKHISARAI
5	नालन्दा	19.59	13.06	State Bank of India	30197308732	SBIN0000042	D.R.D.A. Nalanda
6	पटना	19.59	13.06	Allahabad Bank	20955806378	ALLA0210705	उप विकास आयुक्त, पटना
7	सीतामढ़ी	19.59	13.06	Central Bank of India	1586392093	CBIN0280023	उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी

8	सुपील	19.00	12.67	State Bank of India	11154751018	SBIN0005998	उप विकास आयुक्त, सुपील
	कुन-	142.92	95.28				

(कुल आवंटित राशि - (पनचानवे लाख अठाइस हजार) मात्र

- यह आवंटन विभागीय राज्यादेश संख्या-310737 दिनांक-18.05.2017 द्वारा विमुक्त राशि एवं संकल्प संख्या- 199847 दिनांक -05.09.2014 के अधीन दिया जाता है ।
- आवंटित राशि मांग संख्या- 42, मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) विपत्र कोड संख्या- 42-2501061010302 विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है ।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 में निहित निर्देश के अनुपालन में निर्गत किया जाता है । तथा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक मुश्त राशि की अग्रिम निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- अब उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभाग का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जा चुका है । अतः उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटित राशि की एक मुश्त निकासी करके विभागीय निदेश के आलोक में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संबंधित बैंक खाते (कंडिका-1 की विवरणी स्तंभ 5 से 8) में अंतरित की जाएगी।
- आवंटित राशि के व्यय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) की मार्गदर्शिका में दिये गये निदेशों तथा निकासी एवं व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
- राशि की निकासी के संबंध में कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि तथा व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी तथा व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को भी दी जाती है।
- इसमें सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(राधाशंकर झा)

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 311813 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 29/5/17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक:- 311813 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 29/5/17

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जापांक:- 311813 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 29/5/17

प्रतिलिपि- श्री चन्द्र शेखर मिश्रा, उप सचिव (डी.आर.डी.ए.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्रांक- R-17014/01/2016-17/DRDA (pt.1) (Sl.No-113) दिनांक-28.03.2017 के प्रसंग में/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी 6 एवं 10 / सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग /आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ कार्यवाहक सहायक को 10 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव